

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 291/18 तारीख रज् 19.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का बनाम
 पत्र शिखर जाति जोशी निवासी बलीन तहसील
 महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 27.2.18

निर्णय

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शिखर ने ग्राम बलीन को भूमि ख.न. 331 रकबा 0.15 किस्म बारागाह फसल रबि / खरीफ संवत् 20 74 में अराज कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है।~~ मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 331 रकबा 0.15 किस्म बारागाह वाके ग्राम बलीन से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 6,60,000 गुणा 330% शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल अराज को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

तहसीलदार महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर मांग के पत्र 27 पर
 वर्ष 2017-18
 की राशि 330 रु
 की जमा 40
 दिनांक 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
 तहसील-महवा